

प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अध्यक्ष
मण्डलीय समिति, अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीतिविहार, नई दिल्ली।

ग्रन्थांक: एस०टी०/एन०ओ०सी०/.

/2010-11 दिनांक: ११११२०१२

विषय: अलीगढ़ मण्डल में स्थिति माध्यमिक विद्यालयों को सी०बी०ए०इ०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 1916 (1) / 15-7-09-1 (299) / 2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 12.10.2012 में लिये गये निर्णय के अनुसार मदर टच स्कूल, तालानगरी, अलीगढ़ को सी०बी०ए०स०इ० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:-

प्रतिबन्ध-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध रामिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०, माध्यमिक शिक्षा परिषद/वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मौग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/कॉसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इकाजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भौति अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जाएगा।

9. विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा विद्यालय की भूमि भवन यदि विद्यालय के नाम न हो तो विद्यालय के नाम करायें।

10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाये।

11. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी संनय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

(कुवर विक्रम सिंह)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।

पृष्ठांकन संख्या: एसटी०/एन०ओ०सी०/५० ८७-९५ /2010-11 दिनांक:
वही।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उ०प्र० शासन, शिक्षा 7 अनुभाग, लखनऊ।

2. मण्डलायुक्त, अलीगढ़।

3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र०, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

4. जिलाधिकारी, अलीगढ़।

5. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।

6. जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।।

✓ 7. प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि 1910 वर्ग मी०भूमि विद्यालय के नाम क्य कर पत्राजात प्रस्तुत करें।

8. गार्ड फाइल।

डॉ०(अंजना गोयल)
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।